राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक एवं राजकीय अधिवक्ता का नाम
1.	1312/2023 महेश कुमार शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)। 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर (राज.)।	25.04.2023	अपीलार्थी स्वयं एवं श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	1313/2023 कैला कुमार पालीवाल			

आदेश की दिनांक : 01.05.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1313/2023 कैला कुमार पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रागपुरा, ब्लॉक रेणी, जिला अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 20 के तहत आदेश दिनांक 24.01.1992 के द्वारा अपीलार्थी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था तथा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.10.1997 के द्वारा अध्यापक

ग्रेड द्वितीय के पद पर समायोजित कर उसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हिंगोटा, जिला दौसा में पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 08.06.2013 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और आदेश दिनांक 11.04.2016 के द्वारा उक्त पदोन्नति को रिव्यू कर वर्ष 2010–11 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयन किया गया। उनका कथन है कि सूचना के अधिकार नियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचना के आधार पर जयपुर संभाग में वर्ष 2008–09 से वर्ष 2011–12 तक वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के कुल पदों की संख्या 1832 थी, जो 50 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा अर्थात् 916 पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए थे। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने केवल 731 पदों पर पदोन्नति कोटे से भरे जाने हेतु निर्धारित किए गए, जिसमें केवल 557 पदों पर ही पदोन्नति की गई। यदि नियमानुसार पदोन्नति हेतु निर्धारित कुल 916 पदों पर पदोन्नति की जाती तो 359 पदों पर अतिरिक्त पदोन्नति होती और अपीलार्थी का चयन भी वर्ष 2008–09 की रिक्तियों के विरूद्ध होता। इस प्रकार अपीलार्थी को पदोन्नति का नियमानुसार लाभ प्रदान नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति आदेश को रिव्यू कर वर्ष 2011–12 के स्थान पर वर्ष 2010–11 किया गया। उनका कथन है कि अभ्यर्थी श्री श्याम सुंदर गुप्ता जिसकी मण्डल वरिष्ठता क्रमांक 8828 (वर्ष 1992–93) को रिव्यू डी.पी.सी. में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वर्ष 2008–09 में चयनित किया गया। जबकि अपीलार्थी मण्डल वरिष्ठता क्रमांक 7595 (वर्ष 1991–92) का वरिष्ठ अध्यापक की रिव्यू डी.पी.सी. वर्ष 2010–11 में चयन किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी से कनिष्ठ वरिष्ठता वाले कुछ अन्य अध्यापकों का चयन भी वर्ष 2008–09 में किया गया है। जबकि राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रदेश के सभी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक गणित व विज्ञान के लगभग समान संख्या में ही स्वीकृत पद होते थे और सीधी भर्ती और पदोन्नति भी की जाती थी। परंतु वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा मनमानेपूर्ण रवैया अपनाया गया है, जिससे अपीलार्थी को उक्त वर्ष में चयन होने से वंचित होना पड़ा। इसी प्रकार अपीलार्थी के समान तथ्यों पर आधारित मामला अपील संख्या 356/2014 सिंकदर बी. खान बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 16.07.2021 के द्वारा अपील स्वीकार कर संबंधित वर्ष में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के कुल पद स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पदों पर नियमानुसार पदोन्नति करने के आदेश प्रदान किए हैं, जिसके क्रम में प्रत्यर्थी विभाग ने भी उक्त

आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं करने का निर्णय लिया गया, जो आदेश दिनांक 21.06.2022 (अनुलग्नक–9) से प्रकट होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के समान तथ्यों पर आधारित प्रकरण 356/2014 सिंकदर बी. खान बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य में पारित अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 16.07.2021 के आलोक में अपीलार्थी को भी समान अनुतोष व लाभ प्रदान करने के प्रत्यर्थी विभाग को आदेश फरमाए जावें। जयपुर संभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 08.06.2013 के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पद पर पूर्व में की गई पदोन्नति तथा आदेश दिनांक 11.04. 2016 के द्वारा की गई रिव्यू डी.पी.सी. को अपीलार्थी के जयपुर संभाग में अध्यापक ग्रेड तृतीय के मण्डल वरिष्ठता क्रमांक 7595 (वर्ष 1991–92) के अनुसार अपीलार्थी की पूर्व में की गई पदोन्नति के चयन वर्ष को रिव्यू किया जावे तथा सभी पारिणामिक लाभ एवं आगामी पदोन्नति प्रदान की जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब न प्रस्तुत करते हुए मौखिक रूप से बहस की है कि अपीलार्थीगण की पदोन्नति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है, जिसमें किसी प्रकार के कोई नियमों का उल्लंघन होना प्रकट नहीं होता है। अपीलार्थीगण की पदोन्नति उनके वरिष्ठता क्रमांक के आधार पर ही की गई है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं। जहां तक

अपीलार्थीगण द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 356/2014 सिकंदर बी. खान बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य के समान तथ्यों पर आधारित अपीलार्थीगण के मामले का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में अपीलार्थीगण द्वारा दी गई सहमति एवं अपील संख्या 356/2014 सिकंदर बी. खान वाले मामले के प्रकाश में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर अपील संख्या 356/2014 सिकंदर बी. खान बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य के आलोक में तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त दोनों अपीलें, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 1313/2023 कैला कुमार पालीवाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.) एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 1312/2023 महेश कुमार शर्मा में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)